RFC/O&M/ 751

rfc

RAJASTHAN FINANFCIAL CORPORATION

Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302 005

Ref.No. RFC/F.Law-3/LPM/7/ 475 Dated: 31, May, 2016

CIRCULAR

(Conv. 54)

Re: Charging of stamp-duty on instruments for sale of sick units taken under possession u/s 29 of the SFCs Act, 1951

In supersession to all earlier Notifications, recently in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) a new Notification dated 08.03.2016 has been issued by the Finance Department (Tax Division), GoR vide which the State Government has rescinded the earlier Notification No. F.2(34)FD/ Tax/2010-54 dated 18.08.2010.

Earlier, vide Notification dated 26.07.2003 and 18.08.2010 documents of transfer/sale of industrial unit, which were defined as sick by the RBI/IDBI/SIDBI and certified as sick by the Central or State Level Financial Institution or General Manager DIC concerned or on Industrial unit possession of which was taken over by the RFC/RIICO under the powers conferred u/s 29 of the SFCs Act, 1951 were exempted from stamp-duty.

Now, Notification dated 08.03.2016 issued by the State Government has rescinded the earlier Notification No. F.2(34)FD/ Tax/2010-54 dated 18.08.2010 and accordingly exemption of stamp-duty on Agreement to Sell/Conditional Deed of Conveyance/Sale Deed for sale of units taken under possession u/s 29 of the SFC Act has been withdrawn w.e.f. 08.03.2016, therefore, now on sale of the sick units the instruments will attract entire stamp-duty as per norms.

A copy of recent Notification dated 08.03.2016 alongwith earlier Notifications dated 26.07.2003 and 18.08.2010 are being enclosed herewith for ready reference.

All concerned are advised to make a note of above amendment.

(Sanjay Sharma)
Executive Director

Encl: as above

<u>Copy to</u>:-

1. All BOs
2. Standard Circulation at HO
3. Manager(MS), RFC, HO for hoisting on website.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2016

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby rescind this department's notification number F.2(34)FD/Tax/2010-54 dated 18.08.2010.

[No.F.4(6)FD/Tax/2016-219]
By order of the Governor.

(Dr. Devraj)
Joint Secretary to the Government

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं0 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.2(34)एफ.डी./टैक्स/2010-54 दिनांक 18.08.2010 को इसके द्वारा विखंडित करती है।

[एफ.4(6)वित्त/कर/2016-219]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ0 देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिनांकः 18.08.2010

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, एतद्द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.2(5) वित्त/कर/87-71 दिनांक 26.07.2003 को अधिक्रमित करते हुए आदेश देती है कि ऐसी औद्योगिक इकाईयाँ जो भारतीय रिजर्व बैंक, आई.डी.बी.आई./सिडबी द्वारा परिभाषित बीमार इकाईयों की श्रेणी मे आती हों तथा ऐसा किसी केन्द्रीय या राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान द्वारा या संबंधित जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक द्वारा प्रमाणित किया गया हो अथवा ऐसी औद्योगिक इकाईयाँ जिनको राजस्थान वित्त निगम अथवा रीको द्वारा राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत अधिगृहित किया गया हो, के हस्तान्तरण-पत्र पर प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी का परिहार इस शर्त के साथ किया जाता है कि केता द्वारा इकाई को पुनर्जीवित करना आवश्यक होगा। उक्त छूट बीमार औद्योगिक इकाई के प्रथम हस्तान्तरण के दस्तावेज पर ही लागू होगी।

(प.2(34)वित्त/कर/2010-54)
राज्यपाल के आदेश से,

(भवानी सिंह देथा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को आज के असाधारण राजपत्र भाग 4(ग) में प्रकाशनार्थ। अधिसूचना की 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर को मय बिल के भेजें।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय।
3. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
9. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर।
10. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

D:\S.N.Sharma\Notification .hindi A4.doc16

CMD
1166
Q/841
735
Law 8565
4/8
5

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर-अनुभाग)

जयपुर, दिनांक: 26.07.2003

विषयः राजस्थान वित्त निगम एवं रीको द्वारा अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत अधिकृत औद्योगिकी इकाइयों के मुद्रांक शुल्क छूट के संबंध में।

अधिसूचना

राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 (1952 का राजस्थान अधिनियम संख्या 7) द्वारा राजस्थान के लिए यथानुकूलित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 2(5)वित्त/ग्रुप-4/87 दिनांक 27.01.88 (समय-समय पर यथा संशोधित) व इस संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार यह अधिष्ठित राय होने पर कि ऐसी बीमार औद्योगिक इकाईयों जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक, आई.डी.बी.आई./सिडबी द्वारा परिभाषित बीमार इकाई को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय या राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान द्वारा या संबंधित जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक द्वारा प्रमाणित किया जाए अथवा ऐसी औद्योगिक इकाईयाँ जिनको राजस्थान वित्त निगम अथवा रीको द्वारा राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत अधिगृहित किया गया हो, के हस्तान्तरण के लेख्य-पत्रों पर इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य मुद्रांक कर का परिहार किया जायेगा।

AUG 2003

GM (LAW)

सं. एफ 2(5) वित्त/कर/87-71
राज्यपाल के आदेश से,

(के.सी. गुप्ता)
विशेषाधिकारी, वित्त (कर)

20803

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को आज के असाधारण राजपत्र भाग 4(ग) मे प्रकाशनार्थ।
2. महालेखाकार राजस्थान, जयपुर
3. सचिव-प्रथम, मुख्य मंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, वित्त मंत्री / उद्योग मंत्री
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त)/ सचिव, वित्त (राजस्व)
6. सचिव, उद्योग विभाग, राज. जयपुर।
7. प्रमुख प्रबन्ध निदेशक, रीको, राज. जयपुर।
8. प्रमुख प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान वित्त निगम, राज. जयपुर।
9. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज. जयपुर।
10. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर
11. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी, वित्त (कर)

NOTE
This Notification was circulated by the RFC vide O&M Circular No. 595/2003 dt. 15.10.2003 (CONV. 5)